

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर


दिनांक 20.11.21

क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/ 4355-
अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
	नगर पालिका रामंगजमण्डी	1.	श्री चिरोंजी लाल सेवानिवृत सफाई कर्मचारी				
		2.	श्री गिरिराज मीणा सेवानिवृत पटवारी				

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक 20.11.21

क्रमांक:प 8 (ड)()बो.प्र/डीएलबी/21/ 4352 - 4365

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर,
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ..... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी